

आर टी आई मामला

सं. 14036/609/2013-यू टी पी

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 29 | अक्टूबर, 2013

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त  
लोक सूचना अधिकारी  
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्रीमती कान्ता देवी द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित दिनांक 4.10.2013 के आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 9.10.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने तथा अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु इसे आपको अंतरित किया जा रहा है।

भवदीय,

3 कुमठंल 29/10/2013  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
एवं अवर सचिव (डी पी-11)

संलग्नक: यथोपरि

ग्रहिता का संलग्नक  
25/10/2013

प्रतिलिपि

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी किशन चन्द, निवासी ई-383, मादीपुर जे जे कॉलोनी, नई दिल्ली-110063-आपका आवेदन दिल्ली पुलिस को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए अग्रेषित कर दिया गया है क्योंकि आपके आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है।

इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।